

उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य),  
अलवर एवं समन्वयक।

विषय:-राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में दायर अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या 175/2014 (अन्तर्गत अपील संख्या 166/2012) अमर चन्द मीणा (एमपीडब्ल्यू) बनाम डॉ० बी०आर०मीणा, निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर व अन्य।

उपरोक्त विषयान्तर्गत उक्त अवमानना प्रकरण में प्रत्यर्थागण की ओर से आपको समन्वयक एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है। अतः आप इस प्रकरण के लिये श्री राजेश निगम, स्थायी अधिवक्ता, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर से सम्पर्क कर अवमानना प्रकरण का जवाब तैयार करवाकर माननीय न्यायालय में पेश कराने की कार्यवाही करावें, जिससे इस प्रकरण का निस्तारण हो सकें।

उक्त अवमानना प्रकरण में माननीय न्यायालय से प्रत्यर्थागण संख्या (2) के नाम प्राप्त अवमानना नोटिस मय अवमानना याचिका की छाया प्रति एवं उनकी ओर से हस्ताक्षरित वकालतनामा संलग्न कर भिजवाये जा रहे हैं।

प्रकरण में अवमानना याचिका की प्रति संलग्न कर लेख है कि पारित निर्णय की पूर्ण पालना सक्षम स्तर से कराये जाने हेतु प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वा० विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.7( )/निचिस्वा/विधि/ 10/513 दिनांक 24.02.10 में वर्णित निर्देशानुसार पारित निर्णय की पालना संबंधी दायित्व का निर्वहन करते हुये प्रकरण में आप द्वारा की गई कार्यवाही से राज्य सरकार एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता को समय-समय पर अवगत कराते रहे।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

निदेशक (जनस्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर  
दिनांक:- 9.2.15

क्रमांक: प.7(947) निचिस्वा/विधि/अव./2015/144  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), मुख्यालय को मय अवमानना याचिका की प्रति संलग्न प्रेषित कर लेख है कि समन्वयक को आवश्यक जवाब हेतु तथ्यात्मक स्थिति से अवगत करावें। साथ ही निर्णय की नियमानुसार पालना/अपील/नो अपील की कार्यवाही करना सुनिश्चित कराने का श्रम करें। संलग्न:-उपरोक्तानुसार।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वर्णित केस प्रभारी अधिकारी/समन्वयक आदेश संबंधित केस प्रभारी अधिकारी/समन्वयक को तामिल करवाकर तामिल रसिद भिजवाना सुनिश्चित करें तथा प्रकरण की प्रगति को समय-समय पर लाईट्स की वेबसाईट पर अपडेशन करवाना सुनिश्चित करे
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर।
4. श्री राजेश निगम, स्थायी अधिवक्ता, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर मो०नं. 9414075849।
5. डीलिंग असिस्टेन्ट, उच्च न्यायालय जयपुर सीट, विधि अनुभाग, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि प्रकरण में पारित निर्णय के संबंध में अग्रिम कार्यवाही कराना सुनिश्चित करावें।
6. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को वास्ते विभाग की साईड पर अपलोड करने एवं संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जयपुर तथा संबंधित अधिकारियों को ई-मेल करने बाबत।
7. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, विधि अनुभाग, मुख्यालय।
8. रक्षित पत्रावली।

सहायक विधि परामर्शी  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर।